म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(म.प्र. शासन,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

नर्मदा भवन, 'सी विंग, द्वितीय तल, 59 अरेरा हिल्स्,भोपाल

Ph. 0755–2551487 Fax 2550094

क्रमांक / 4251 / /NR-10 /MGNREGS-MP/2012 दिनांक : 10 मई 2013

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक

जिला पंचायत ....(समस्त)

विषयः– योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा बावत्।

––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की विगत वर्षों में प्रथम त्रिमाह(अप्रैल, मई तथा जून) में जिलो / जनपदों में सर्वाधिक व्यय होना प्रतिवेदित किया गया है। अतः वित्तीय वर्ष 2013–14 में दिनांक 15 मई 2013 तक अपने जिले की समस्त ग्राम पंचायत में कम से कम एक कार्य पर मस्टर रोल जारी करना सुनिश्चित करे।

जिला स्तर पर जिला रोजगार अधिकारी (परियोजना अधिकारी) तथा जनपद स्तर पर अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी द्वारा योजना की दैनिक नियमित मानिटरिंग की निम्नानुसार बिंदुओं पर की करने के निर्देश जारी करें :–

जिला रोजगार अधिकारी (परियोजना अधिकारी जिला–पंचायत):–

- जिले के वित्तीय वर्ष 2013–14 के लेबर बजट अनुसार कार्यों के विरूद्ध जारी मस्टर रोल तथा व्यय का विश्लेषण करना।
- एफ.टी.ओ. जारी होने में विलम्ब अथवा बैंक में विलम्ब से भुगतान अथवा रिजेक्ट होने के कारणों का परीक्षण कर तत्काल 02 दिवस में निराकरण कराना तथा समय–समय पर ई–मस्टर तथा एफ.टी.ओ. की अद्यतन स्थिति से जिलों के अधिकारियों तथा राज्य रोजगार गांरटी परिषद् की एम.आई.एस शाखा को अवगत् कराना।

अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी(जनपद पंचायत):–

- जॉब कार्ड धारी परिवारों / श्रमिकों के बैंक / पोस्ट ऑफिस में खाता संख्या एन.आर.ई.जी.ए. साफ्टवेयर में अद्यतन तथा फ्रीज करना।

- ग्राम पंचायतों/लाईन विभागों को ई–मस्टर रोल जारी करना तथा भुगतान हेतु मूल्यांकित मस्टर रोल प्राप्त कर मस्टर रोल पंजी में संधारित करना तथा अधिकतम 02 दिवस में एन. आर.ई.जी.ए. साफ्टवेयर में दर्ज करा कर भुगतान हेतू वेज लिस्ट सृजित कराना।
- कमर्शियल बैंक , पोस्ट आफिस तथा जिला स्थित सहकारी बैकों के जारी एफ.टी.ओ. के भुगतान सुनिश्चित करवाना तथा भुगतान का रिकार्ड संधारित करना।

उक्तानुसार बिंदुओं पर योजना की प्रगति की समीक्षा परिषद् स्तर पर एम.आई.एस. शाखा द्वारा की जा रही है। राज्य स्तर पर समीक्षा उपरान्त ही संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के संविदा नवीनीकरण अथवा प्रतिनियुक्ति निरंतर रखने पर विचार किया जावेगा।

9.5.13

(डॉ. रवीन्द्र पस्तौर)

आयुक्त

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,

पृ.क्रमांक/4242/NR-10 /MGNREGS-MP/2012 दिनांक : 10 मई 2013

प्रतिलिपिः–

1 जिला कार्यक्रम समन्वयक.......................... (समस्त) की सूचनार्थ।

(डॉ. रवीन्द्र पस्तौर)

आयुक्त

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,